भारत सरकार
आयुष मंत्रालय
(आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी)

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2924
12 माच, 2021 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

किसानों द्वारा हबल खेती के लिए निधि

2924. श्रीमती चिंता अनुराधा:

क्या आयुवद, योग और प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी (आयुष) मंत्री यह बताने का कृपा करगे किः

(क) क्या सरकार ने देश म स्थानीय किसानों द्वारा हबल खेती के लिए कोई निधि विनिदिष्ट का है एवं यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या राष्ट्रीय औषधि पादप बोड ने देश भर म विभिन्न राज्यों म हबल खेती के लिए भूमि के आवंटन हेतु कोई काय किया है;
(ग) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सहित तत्संबंधी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
(घ) अभी तक वतमान वित्त वष म कितनी निधि का उपयोग किया गया है; और
(ङ) उपज से किसानों को कब तब लाभ मिलेगा और इससे कितनी आय का सृजन होगा?

उत्तर
युवा मामलों और खेल मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
और आयुवद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथी मंत्रालय के
राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) का अतिरिक्त प्रभार (श्री किरेन रीजीजू)

(क): जी हां, आयुष मंत्रालय, भारत सरकार "राष्ट्रीय आयुष मिशन" (एनएएम) का कद्रीय रूप से प्रायोजित योजना का कायान्वयन कर रहा है। राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के 'औषधीय पादप' घटक के अंतगत राज्यों के चयनित जिलों म पहचान किए गए क्लस्टर/ज़ोन म प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों का बाजार उन्मुख खेती के लिए सहायता प्रदान का जाती है और इसे मिशन मोड म कायान्वित किया जाता है। योजना के दिशानिदशों के अनुसार, निम्नलिखित के लिए सहायता प्रदान का जाती है :

i. किसान का भूमि पर प्राथमिकता प्राप्त औषधीय पादपों का खेती।
ii. पश्चवर्ती सम्बद्धता के साथ गुणवत्तायुक्त रोपण सामग्री उगाने और आपूर्ति करने के लिए पौधशालाओं का स्थापना।
iii. अग्रवर्ती सम्बद्धता के साथ फ़सलोपरांत प्रबंधन।
iv. प्राथमिक प्रसंस्करण, विपणन अवसंरचना आदि।

आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना के तहत पूरे देश म औषधीय पादपों का खेती हेतु किसान का भूमि पर 140 औषधीय पादपों के लिए खेती का लागत के 30%, 50% और 75% का दर से सब्सिडी प्रदान करके वित्तीय वष 2015-16 से वित्तीय वष 2019-20 तक 11597.7 लाख रूपये (राज्य शेयर सहित) का धनराशि का अनुमोदन /समथन किया है। निधियों का ब्यौरा **संलग्नक-I** म दिया गया है।

(ख) और (ग): जी हां, आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) के औषधीय पादप घटक का खेती के तहत 48040 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए सहायता प्रदान का है। आंध्र प्रदेश सहित पूरे देश म औषधीय पादपों के खेती के अंतगत वित्तीय वष 2015-16 से 2019-20 तक समर्थित क्षेत्रफल का ब्यौरा **संलग्नक-II** म दिया गया है।

(घ): आयुष मंत्रालय ने राष्ट्रीय आयुष मिशन (एनएएम) योजना के औषधीय पादप घटक के अंतगत वष 2015-16 से वष 2018-19 के दौरान जारी निधियों से वतमान वित्तीय वष सहित वित्तीय वष 2019-20 के दौरान 691.137 लाख रूपये का धनराशि राशि का उपयोग किया है। इसका ब्यौरा निम्नवत है:

निम्नलिखित वित्तीय के दौरान जारी का गई धनराशि और वित्तीय वष 2019-20 और वतमान वष के दौरान उनके उपयोग प्रमाण-पत्र						
						(रूपये लाख म)
क्र.सं.	**राज्य**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**कुल**
1	मिजोरम	14.384	44.317	97.51	40.63	**196.841**
2	उत्तर प्रदेश	52.6	300.00	141.696	0.00	**494.296**
	कुल	**66.984**	**344.317**	**239.206**	**40.63**	**691.137**

(ङ) आयुष मंत्रालय का प्राथमिकता प्राप्त सूची के अनुसार, किसान का भूमि पर खेती के लिए चयनित पादप वाषिक, द्विवाषिक और बारहमासी होते ह जिनसे किसान 03 माह, 06 माह और वष के बाद लाभ प्राप्त कर सकते ह। रोपण किए जाने के 6-12 वर्षों के पश्चात वृक्ष प्रजातियों/बारहमासी उपज प्राप्त होगी। तदनुसार, इनसे किसानों द्वारा लाभ प्राप्त किया जाता है।

*****

संलग्नक-I

औषधीय पादपों की खेती के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां							
							(रुपये लाख में)
क्र.सं.	**राज्य का नाम**	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**	**2019-20**	**कुल**
1	आंध्र प्रदेश	121.28	200.13	128.38	69.28	220.41	**739.48**
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	42.78	38.43	9.36	26.26	**116.83**
3	असम	0.00	85.86	55.35	28.12	0.00	**169.34**
4	बिहार	0.00	0.00	0.00	0.00	74.49	**74.49**
5	छत्तीसगढ़	0.00	47.63	27.96	28.11	0.00	**103.70**
6	गोवा	0.00	8.22	9.44	9.44	9.74	**36.84**
7	गुजरात	25.92	72.19	71.45	178.67	0.00	**348.23**
8	हरियाणा	49.81	56.99	0.00	0.00	0.00	**106.80**
9	हिमाचल प्रदेश	35.73	100.06	8.04	0.00	54.44	**198.28**
10	जम्मू-कश्मीर	7.39	30.67	19.22	21.50	18.29	**97.07**
11	कनाटक	72.87	195.63	154.21	86.49	114.67	**623.87**
12	केरल	69.64	130.43	171.39	115.27	0.00	**486.72**
13	मध्य प्रदेश	286.91	490.88	317.28	249.36	287.87	**1632.29**
14	महाराष्ट्र	194.61	0.00	265.51	0.00	285.36	**745.48**
15	मणिपुर	48.30	70.88	30.25	17.58	15.83	**182.83**
16	मेघालय	0.00	12.77	7.05	0.00	31.53	**51.35**
17	मिजोरम	8.13	6.82	41.26	39.64	0.95	**96.81**
18	नागालैंड	20.36	39.38	65.89	38.04	0.00	**163.67**
19	ओडिशा	0.00	107.55	0.00	85.06	0.00	**192.61**
20	पुदुचेरी	0.00	4.96	0.00	0.39	0.78	**6.14**
21	पंजाब	0.00	78.61	0.00	9.47	66.15	**154.23**
22	राजस्थान	38.53	194.81	473.60	203.24	327.85	**1238.03**
23	सिक्किम	22.32	23.25	24.98	0.00	0.00	**70.56**
24	तमिलनाडु	144.22	252.71	222.92	173.09	260.99	**1053.94**
25	तेलंगाना	81.32	38.75	75.04	36.87	65.75	**297.73**
26	त्रिपुरा	6.06	0.00	0.00	42.90	0.00	**48.96**
27	उत्तराखंड	54.22	129.82	105.99	55.67	133.60	**479.28**
28	उत्तर प्रदेश	548.76	336.92	241.20	564.05	0.00	**1690.93**
29	पश्चिम बंगाल	18.13	44.94	104.98	62.20	160.93	**391.19**
कुल		**1854.52**	**2803.63**	**2659.82**	**2123.79**	**2155.89**	**11597.7**

संलग्नक– II

खेती (क्षेत्रफल हेक्टेयर म)							
क्र. सं.	राज्य का नाम	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	कुल
1	आंध्र प्रदेश	447	1513.2645	897	508.05	1338	**4703.31**
2	अरुणाचल प्रदेश	0	142.4	71	9	44	**266.4**
3	असम	0	261	224.6	138	0	**623.6**
4	बिहार	0	0	0	0	175	**175**
5	छत्तीसगढ़	0	220	72	108	0	**400**
6	गोवा	0	22.5	30.36	30.36	30	**113.22**
7	गुजरात	141	191.6	85.23	518.47	0	**936.3**
8	हरियाणा	174.8	245	0	0	0	**419.8**
9	हिमाचल प्रदेश	39	120	7	0	70	**236**
10	जम्मू-कश्मीर	9	34	21	24	28	**116**
11	कनाटक	317	706.3	769	469	352.6	**2613.9**
12	केरल	258	535	699	396.5	0	**1888.5**
13	मध्य प्रदेश	1681	2518	2030	1262	790	**8281**
14	महाराष्ट्र	326.63	0	443.8	0	520	**1290.43**
15	मणिपुर	142.2	242	142	60	30	**616.2**
16	मेघालय	0	48	22	0	108	**178**
17	मिजोरम	59.28	27	65	187	6	**344.28**
18	नागालड	51	138	250	102.5	0	**541.5**
19	ओडिशा	0	488.504	0	378	0	**866.504**
20	पुदुच्चेरी	0	43	0	2.43	4.84	**50.27**
21	पंजाब	0	242	0	16	340	**598**
22	राजस्थान	330	1162.5	1341	519	760	**4112.5**
23	सिक्किम	63	32	84	0	0	**179**
24	तमिलनाडु	633	960	673	765	900	**3931**
25	तेलंगाना	345	294.18	457	236.7	341.3	**1674.18**
26	त्रिपुरा	45	0	0	210.6	0	**255.6**
27	उत्तराखंड	153	148	182.53	110	208	**801.53**
28	उत्तर प्रदेश	3188	1898	1345	3633.44	0	**10064.4**
29	पश्चिम बंगाल	107	230	417	261.42	748.38	**1763.8**
कुल		**8509.91**	**12462.249**	**10328.52**	**9945.47**	**6794.12**	**48040**